

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा जिला बारां (राज)

क्रमांक 90/25

दिनांक 25.09.25

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री राजेन्द्र पुत्र/पुत्री/पति रामनारायण न प्रार्थना
 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बल्लारपुर पटवारी मण्डल भूंडव तहसील छबड़ा
 जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 71 में खातेदार/गैरखातेदार का
 नाम/जाति राजू पुत्री नारायण अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसो सम्मानजनक रूप से
राजेन्द्र अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी भूंडव
 से करवाने पर पटवारी ने राजू के बजाय राजेन्द्र
 करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में
 के बजाय राजेन्द्र करना उचित बताया।
 अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956
 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
 ग्राम बल्लारपुर के खाता संख्या 71 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति राजू
 के स्थान पर सम्मानजनक रूप से राजेन्द्र दर्ज करने को
 आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार नजस्स रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 (Land Record Officer)
 छबड़ा जिला बारां
 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारां)